

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)

(सं0 पटना 14) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 3 जनवरी 2019

एस०ओ० 3, दिनांक 3 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर नियमावली,, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर-

- (i) वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 209, दिनांक 10 अक्टूबर 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या— 925, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में ; और
- (ii) वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 157, दिनांक 23 मार्च 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या— 264, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में,

में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में "जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018" और "31 दिसंबर, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-4)-33)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

3 जनवरी 2019

एस०ओ० 3, दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० ब्रिकी—कर / जी०एस०टी० / विविध—21 / 2017 (खंड—4)—33)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 3rd January 2019

- S.O. 3, dated the 3rd January 2019—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments-
- (i) in the Commercial Taxes Department notification No S.O.209 dated the 10th October, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 925, dated the 10th October, 2017; and
- (ii) in the Commercial Taxes Department notification No S.O.157 dated the 23rd March, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 264, dated the 23rd March, 2018, namely:–

In the said notifications, in the first paragraph, in the proviso, for the words, figures and letters "July, 2017 to November, 2018" and "31st day of December, 2018", the words, figures and letters "July, 2017 to February, 2019" and "31st day of March, 2019" shall be respectively substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 31st December, 2018. [(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—33)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 14-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in